क्रम-संख्या-93

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० –
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 अप्रैल, 2013
चैत्र 19, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 1306/छः-पु-1–13-115-2008
लखनऊ, 9 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि–24

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शारीरिक स्वस्थता 13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। **टिप्पणी:**– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिंगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।	शारीरिक स्वस्थता 13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। **टिप्पणी:**– चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित किसी शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, का भी परीक्षण करेगा।

नियम 15 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15–आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया (क) आवेदन–पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है। (दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिये ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।	आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15–(क) आवेदन–पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है। (दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिये ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0 एम0आर0 पत्रक पर होगा।	(तीन) आवेदन–पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अँगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान होगा।	(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण–पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिऐ उत्तरदायी होगा।
(पाँच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।	(पाँच) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन–शुल्क नियत कर सकता हैं।
(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/ डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है।	(छः) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
(सात) प्रत्येक आवेदन–पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं और स्नातक/ स्नातकोत्तर के प्रमाण–पत्र, खेल प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण–पत्र, होम गार्ड प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण–पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप में भेजे गये आवेदन–पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहाँ से वे क्रय किये गये हों।	(सात) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती हैं।
(ख) बुलावा-पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन-पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा-पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन-पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय	(ख) बुलावा-पत्र परीक्षा के कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थियों को बुलावा–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सहित कोड/नाम डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा–पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा-पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा-पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा-पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।	
(ग) शारीरिक मानक परीक्षा समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–1 में दी गयी है।	(ग) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, से अर्हकारी प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षा में 300 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होंगे, जिसका पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से, रिक्तियों की संख्या के दस गुने के बराबर संख्या में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों जो नियम–15 (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–2 में दी गयी है।	(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित की गयी है।
(ङ) चिकित्सा परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में दी गयी है।	(ङ) मुख्य लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिए 300 सौ अंक होंगे। लिखित प्रश्न–पत्र में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति और बोधगम्यता के प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में यथा

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(च) लिखित परीक्षा चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–4 में दी गयी है।	उल्लिखित रूप से होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते है, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। (च) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा बोर्ड प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों और अधिनियमन के उपबन्धों के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की संवीक्षा परिशिष्ट–4 के अनुसार की जायगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी दस्तावेज को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड और विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं वे परिशिष्ट–5 के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे। टिप्पणी:–चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा–नाक–नी, बो–लेग्स, फ्लैट–फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस तथा रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक् दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, किया जायेगा।
(छ) अन्तिम चयन सूची बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम में अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्तांकों की जाँच कर सकें। बाह्य सहायित एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेगी। तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी। बाह्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबन्द आवरण में	(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूची बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो ज्येष्ठतर अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक एक समान हो तो नियम–9 में यथा उल्लिखित अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। अन्तिम सूची को वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। यह

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।	सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी जो उसे अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

नियम 17 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17–मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों के मध्य से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगीः– (क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	17–मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती हैः– (क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 25 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल वही आरक्षी जिनकी न्यूनतम सात वर्ष की सेवा है, जिसमें परिवीक्षा अवधि भी सम्मिलित है और जो 40 वर्ष आयु पूर्ण न कर चुके हों, उक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।
(ख) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेगी।	(ख) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 75 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेंगी। इस उपबन्ध के अधीन केवल वे ही आरक्षी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम सात वर्ष की हो।
विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हेतु ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट–6 में दी गयी है।	**टिप्पणीः** 1–रिक्ति के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में जिन आरक्षियों के सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र रोके गये हैं या जिनको बृहद दण्ड प्राप्त हुआ हो या कोई प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है या पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोई लघु दण्ड प्राप्त हुआ हो, वे उस वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणीः** 2–ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए चयन समिति, समान ज्येष्ठता वाले अभ्यर्थियों के समूहों के लिए, ज्येष्ठता से आरम्भ करते हुए पदोन्नति की संस्तुति कर सकती है, परन्तु यह कि संस्तुत की गयी कुल संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नंति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–6 में दी गयी है।

नियम 18 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—

स्तम्भ—1 निरसित नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति 18—नियुक्ति सूची क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षी के प्रचलित नियम के अनुसार तैयार की गयी चयन सूची के अनुसार किया जायेगा, जो चिकित्सा परीक्षा में स्वस्थता और अभिलेख/प्रमाण पुष्टि के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा नियम 15 के खण्ड (च) के अधीन प्रेषित हो। अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में अस्वस्थ पाये जाने या अभिलेख/ चरित्रपुष्टि में प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा। (क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/ प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होम गार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के लिये अपेक्षित हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र, खेल के जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, जहाँ उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण का मामला हो वहाँ पर अधिवास और श्रेणी के सबूत के लिये जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपने प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रारूप पर दायें और बायें हथेलियों के अँगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अलग—अलग स्थायी पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ डाकघर सहित पिनकोड, विकास खण्ड, तहसील का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा। (ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस निर्देश के साथ नियुक्ति—पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक महीने के अन्दर	**नियुक्ति** 18—नियम—15 के खण्ड (छ) और नियम—16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम—15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने के विषय में सूचित कर दें, ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा : परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देगा, जिसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद का कार्य कर रहा है तो इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन बनाई गयी समझी जायेगी।	

नियम 22 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता 22–किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	ज्येष्ठता 22–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

परिशिष्ट–1 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 दिये गये परिशिष्ट–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–1 शारीरिक मानक परीक्षण : शारीरिक मानक परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:– 1–परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2–चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उप अधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल और सत्यापित फोटो प्रतियाँ की संवीक्षा करें और ये संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षक के स्थान पर ही की जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दी गयी सूचना और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में कोई व्यतिक्रम हो तो उसकी जाँच की	परिशिष्ट–1 (निकाल दिया गया)

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–1 जायेगी। प्रमाण पत्रों अर्थात् आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होम गार्ड में सेवा करने का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि उर्ध्वाधर आरक्षी का दावा किया जाय और अधिवास प्रमाण पत्र यदि क्षैतिज आरक्षण का दावा किया जाय जो नियम–15 के खण्ड (क) के उपखण्ड (सात) के अधीन दिया गया हो, की भली–भाँति परीक्षण और मिलान करने के पश्चात दल सुसंगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को स्वीकार करेगा और उन्हें अपने पास उस समय तक रखेगा जब तक कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त न हो जाय। तत्पश्चात उन्हें भविष्य में प्रलेखीकरण और पुष्टि के लिये नियुक्त प्राधिकारी को सौंप दिया जाय। (2) सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर है। **सीने की मापः** सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और कम से कम 84 सेंटीमीटर (फुलाने पर) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और कम से कम 82 सेंटीमीटर (फुलाने पर) से कम नहीं होगा। **नोटः–** न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। **(3) महिला के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक** **ऊँचाई** सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः–** न्यूनतम 40 किलोग्राम। (4) स्टेडियम/पुलिस लाइन में, जहाँ कहीं परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षण आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक	**परिशिष्ट–1** (निकाल दिया गया)

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–1 परीक्षण के लिये अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन्स/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में 200 अभ्यर्थियों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	**परिशिष्ट–1** (निकाल दिया गया)

परिशिष्ट–2 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–2 **सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण** शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– 1–परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2–चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी (क) पुरुष अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है। (ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक	**परिशिष्ट–2** **सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण–** 1. शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :– (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। (तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। (चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–2	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–2
नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।	अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।
(ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहाँ स्टेडियम उपलब्ध न हों वहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिए।	(पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।
(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहाँ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।	(छः) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।
(ङ) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।	परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।
(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	2. आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 की दौड़ 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी0 की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।
(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासम्भव नित्य अपलोड की जायेगी।	अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय–सीमा के आधार पर दौड़ के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 100 अंक और न्यूनतम 60 अंक होंगे जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नवत् है। (एक) पुरुषों के लिये 4.8 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा	
समय सीमा	**अंक**
20 तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30	60

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–2	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–2
(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों सें, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। (झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	**टिप्पणी** :–समय की संगणना सेकण्ड तक की जायेगी। (दो) महिलाओं के लिये 2.4 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट) **मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा** **समय सीमा** – **अंक** 14 तक – 100 14 मिनट 01 सेकेण्ड से 16 – 80 16 मिनट 01 सेकेण्ड से 18 – 60 **टिप्पणी** :–समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तक की जायेगी। 3–पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 3. 2 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण करनी होगी। यह परीक्षण अर्हकारी अंकों का होगा। 4–दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने के अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा। 5–दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :– (क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–2	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–2
	(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये भिन्न–भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। (ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। (घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी। (च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा। (छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं किया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–2	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–2
	टिप्पणी :–समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जानें पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट–3 का संशोधन

9–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–3	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–3
<u>चिकित्सा परीक्षा परिषद</u> :–लिखित परीक्षा पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों, जो उत्तीर्ण हुये हों, और अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिये विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।	<u>लिखित परीक्षा के लिये प्रक्रिया</u> :– (क) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब) को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी। (ख) यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि लिखित परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रकार की होंगी या वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार की होंगी। (ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् उत्तर पुस्तिकायें, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहरबंद लिफाफे में बोर्ड को केन्द्रवार भेजी जायेगी। (घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिये, अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये समस्त प्रश्नों के उत्तर बोर्ड के वेबसाइट पर उत्तरमाला के साथ अपलोड किये जायेंगे। (ङ) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–3	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–3
चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण :– (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।	(च) यद्यपि समस्त प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियों बरती जायेगी, फिर भी एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड की राय में, उत्तर का चुनाव अनन्य न होने या लिखित रूप में अभिलिखित किये गये किसी अन्य कारणों से बोर्ड किसी प्रश्न को निरस्त कर सकता है। फिर भी किसी कारण से किसी प्रश्न के निरस्त किये जाने की दशा में, प्रश्न के लिये आवंटित अंकों को और अभ्यर्थी द्वारा शेष प्रश्नों में प्राप्त किये गये अंकों के अनुपात में समायोजित कर लिया जायेगा।
(ख) दिन के अन्त में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जायेगा और माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और साथ ही जहाँ भी सम्भव हो परिषद की वेबसाइट पर अद्यावधिक किया जायेगा।	(छ) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य–विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियाँ नहीं की जा सकेंगी।
(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	(ज) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है।
(घ) चिकित्सीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची में कोई प्रभाव न होगा।	(झ) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाय तब तक वह अग्रतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों। (ञ) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

10–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :– परिशिष्ट–4 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–4	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–4
लिखित परीक्षा :– लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/	**दस्तावेजों की संवीक्षा :–** 1–ऐसे अभ्यर्थी जो इस नियमावली के अधीन विहित परीक्षा में सफल हो गये हों उन्हें पात्रता, शिथिलता,

स्तम्भ—1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट—4

बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहाँ से बुलावा पत्र भेजा गया था।

(क) दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम इत्यादि से सम्बन्धित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता है तो वह बोर्ड की हेल्पलाइन मोबाइल/लैण्डलाइन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(घ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी :—

1	सामान्य ज्ञान	50 अंक
2	आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण	50 अंक
3	अभिरूचि परीक्षण	50 अंक
4	बुद्धिशक्ति परीक्षण	50 अंक
	योग :—	200 अंक

नोट :—प्रश्नों का स्तर कर्तव्य सम्बन्धी रूपरेखा के अनुकूल होगा।

(ङ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।

(च) प्रश्न-पत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्न-पत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और वाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।

(छ) एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्रों की पांच सीरीज दी जायेगी (सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की शैली के अनुसार) वाह्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रश्न-पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्न-पत्रों के साथ नहीं भेजी जायेगी।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट—4

अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ चिकित्सीय परीक्षा समिति के समक्ष उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा अधिकारी जो परगना मजिस्ट्रेट रैंक के नीचे का न हों, अध्यक्ष होगा।

(ख) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी—कलक्टर।

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(घ) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक।

(ङ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(च) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(छ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(2) पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की मूल रूप में जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो।

(3) दस्तावेजों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–4	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–4
(ज) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न-पत्रों के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/पंक्तिवार भी बनाये जांय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस-पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न सीरीज के प्रश्न-पत्र वितरित किये जाये।	
(झ) उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है इनमें से किसी एक को चुने।	
(ञ) अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश-पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिये।	
(ट) कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम, अनुक्रमांक ठीक–ठीक भरा है और ओ0एम0आर0 शीट का कोई भी स्तम्भ बिना भरा नहीं है।	
(ठ) ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय।	
(ड) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 पत्रक तीन प्रतियों में होगा जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग के लिये प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेख के लिये और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिये होगा। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।	
(ढ) कक्ष अन्तरीक्षक के साथ–साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाण-पत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को खाली नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	
(ण) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।	

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–4	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–4
(त) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुँच जाय और भिन्न–भिन्न सीरीजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाइन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिये। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करें। (थ) उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और अन्तिम श्रेष्ठता सूची यथासम्भव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अन्तिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय। (द) प्रश्न-पत्रों को परीक्षा आरम्भ होने के एक दिन पूर्व वाह्य एजेन्सी और नोडल अधिकारी पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न-पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा और परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न-पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहाँ से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।	

परिशिष्ट–5 का संशोधन

11–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–5				स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–5	
अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया				अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	
क्र0सं0	विषय	अंक	अंक		
1	बुद्धिशक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)।	50 अंक	50 अंक	(एक) चिकित्सीय परीक्षा परिषद	विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में अर्ह पाये गये और छाँटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट–4 द्वारा संवीक्षा के पश्चात् सही पाये गये हों, का चिकित्सीय परीक्षण

	स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–5			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–5	
				किया जायेगा।	
2	भारतीय संहिता, दण्ड प्रक्रिया, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुए आधारभूत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	दण्ड	50 अंक	50 अंक	(दो) शारीरिक मानक परीक्षण चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमें महिला एवं पुरूष दोनों अभ्यर्थियों की ऊँचाई का परीक्षण होगा। (1) पुरूष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:– (क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक– ऊँचाई (ख) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेन्टीमीटर होगी। (ग) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। (2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक– ऊंचाई (क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर है। (ख) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।
3	निबन्ध (पुलिस विषयों से सम्बन्धित यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट–15 अंक, वाद का अध्ययन–20 अंक, विवेचना–15 अंक)	50 अंक	50 अंक		
4	सेवा विवरण	50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए, और 5 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण अंक इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रत्येक मौलिक	50 अंक	(तीन) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	टिप्पणी :– (1) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन या निदेशक बॉट माप द्वारा प्रमाणित उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। (2) चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा जो

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–5	परिशिष्ट–5
प्रशिक्षण के लिए 5 अंक जो अधिकत्तम 10 हो सकैते हैं और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 1 अंक जो अधिकतम 5 हो सकते हैं पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैंर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करे, जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी प्रशिक्षण मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नही किया जायेगा। अग्रतर प्रत्येक बृहद दण्ड के लिए 3 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 2 अंक और प्रत्येक अति लघु दण्ड के लिए 1 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जायेगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (ख) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (ग) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिपोर्ट सरवर पर सीधे आनलाइन अभिलिखित करने की प्रणाली निकालने और उसे संस्थित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। (घ) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–5 दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।	परिशिष्ट–5 परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त अपील के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। (ङ) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपार्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (च) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट–6 का संशोधन

12–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–6 **ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया** **शारीरिक दक्षता परीक्षण** पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलो मीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।	परिशिष्ट–6 **ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया** विभागीय परीक्षा के आधार पर आरक्षी सिविल पुलिस की मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :– विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के आधार पर और अधिकतम 100 अंकों के सेवा अभिलेख के आधार पर होगी। 1–आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा जो अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् है– खण्ड क : विधि और पुलिस प्रक्रिया– 200 अंक खण्ड ख : सामान्य ज्ञान और बोधगम्यता– 100 अंक उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–6	परिशिष्ट–6
	2–लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की संख्या के डेढ़ गुनी संख्या में कुल अभ्यर्थी परिशिष्ट–2 में उल्लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होगें। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम 100 अंक सेवा अभिलेख के लिए निम्नलिखित मानदंड के अनुसार प्रदान किया जायेगा : (एक) गत दस वर्षो की वार्षिक अभ्युक्ति अधिकतम 60 अंक 6 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट के लिए और 4 अंक अति उत्तम के लिए और 2 अंक उत्तम के लिए। प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति के लिए 6 अंक कम कर दिये जायेंगे। (दो) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : अधिकतम अंक 10, जिनमें से 5 दिन के या उससे अधिक के प्रत्येक प्रशिक्षण या इस प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित सरकार/ विश्वविद्यालय के किसी दूरस्थ प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए एक अंक (तीन) नकद पुरस्कार : अधिकतम अंक 30, जिनमें से प्रत्येक नकद पुरस्कार के लिए 5 अंक प्रदान किये जायेंगे। (चार) दण्ड : ऋणात्मक अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे : प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 5 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 3 अंक, सत्यनिष्ठा रोके जाने के लिए ऋणात्मक 10 अंक। मद (दो) से (चार) रिक्ति के वर्ष तक पूर्ण सेवा अभिलेख से सम्बन्धित होंगे। 3–श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित एवं सेवा अभिलेख के कुल अंको पर आधारित होगा। अंको के बराबर–बराबर होने की दशा में, सेवा अभिलेख में अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी।

आज्ञा से,

आर0 एम0 श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।